सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 118/2018

1 माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी पुराना [illegible]य की गली वार्ड नम्बर 12 कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जरिये सेवायत [illegible] प्रहलादराय, पवन कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति पुजारी ब्राह्मण निवासी [illegible]लय की गली वार्ड नम्बर 12 कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मन्दिर रघुनाथ नया नि. शिव मन्दिर के पास रामगढ़ शेखावाटी जरिये महन्त माध्वाचार्य चेला भगवानदास जाति ब्राहम्ण निवासी पोदारों की गली कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

2 तहसीलदार महोदय तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.18
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
कैम्प कोर्ट रामगढ़ शेखावाटी पीठासीन अधिकारी
श्रीमती रेणु मीणा दावा उनवानी माफी मन्दिर
श्री रघुनाथजी बनाम मूर्ति मन्दिर रघुनाथजी आदि
दावा संख्या 04/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 4/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी चिर अवयस्क मूर्ति मन्दिर है जिसकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 607 रकबा 5 बिघा 2 बिस्वा यानी 1.29 हैक्टेयर खसरा नम्बर 607/888 रकबा 13 बिस्वा यानी 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर कस्बा रामगढ़ शेखावाटी के पूरब में स्थित होकर रेल्वे स्टेशन रोड़ पर वाटर वर्क्स की टंकी के पास है। उक्त कृषि भूमियों को वादी की और से उसके सेंवायत पुजारी प्रहलादराय, पवन कुमार पीढ़ियों से काश्त करते है, काश्त से प्राप्त फसल से वादी मूर्ति के भोग प्रसाद मंदिर व्यवस्था का खर्च करते है। वादग्रस्त कृषि भूमियों को पहले वर्तमान सेवायत पुजारी के पुर्वज रामप्रसाद, खेसीदास, गोविन्दराम, तनसुख वादी मंदिर की और से काश्त करते थे। वादी मंदिर कस्बा रामगढ़ कस्बा रामगढ़ का सर्व प्रथम बना हुआ रघुनाथजी का काफी पुराना मंदिर है। वादग्रस्त कृषि भूमियों हमेशा से वादी मंदिर की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है, वादी मंदिर कस्बा रामगढ़ के वार्ड नम्बर 12 पुस्तकालय की गली में स्थित है। वादी मंदिर के कुछ समय बाद ही कस्बा रामगढ़ में शिव मंदिर के पास स्थित नया रघुनाथजी मंदिर बना जो प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 है जिसके पास भी कस्बा रामगढ़ के दक्षिण में कृषि भूमियां (खसरा नम्बर दावा के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी खाता संख्या 397 की में) है जो उनके खातेदारी कब्जा काश्त में है तथा उक्त प्रतिवादी संख्या 2 के सेवायत महन्त वर्तमान में माधवचार्य है। वादी मंदिर व प्रतिवादी संख्या 1 मंदिर अलग–अलग है तथा उनके सेंवायत पुजारी भी हमेशा से ही अलग रहे है जो आज तक अलग हैं लेकिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के नाम एक समान होने से प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों के विपरित जाकर वादी की वादग्रस्त कृषि भूमियां जो कस्बा रामगढ़ के पुरब में स्थित है जिसका खाता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कभी भी नहीं रहा है पूर्व से अलग चला आ रहा था तथा वादी के खाता नम्बर भी हमेशा से अलग चले आ रहें। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को बिना सुनवाई का कोई मौका दिये चले आ रहें। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को बिना सुनवाई का कोई मौका दिये वादी की वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरा नम्बर 607 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 607/888 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके कस्बा रामगढ़ को प्रतिवादी 1 मंदिर के नाम उसके खाता संख्या 362 में शामिल कर दर्ज कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त कृषि भूमियों से कोई लेना देना कब्जा काश्त नहीं है न ही पहले था न ही आज है।

वादी ही वादग्रस्त कृषि भूमियों का सदामत से काबिज मालिक खातेदार काश्तकार आज तक चला आ रहा होने से वादी अपनी वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरा नम्बर 607,607/888 को पहले से ही अलग खाता चला आ रहा होने स`अब भी अपना अलग खाता नम्बर दर्ज किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरा नम्बर 607,607/888 वाके कस्बा रामगढ़ शेखावाटी को उसमें दर्ज कर वादी को वादग्रस्त कृषि भूमियों का काबिज खातेदारी काश्तकार माफी मंदिर श्री रघुनाथजी मंदिर पुराना के नाम से उद्घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई वाद वादी खारिज किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि को पूर्वजों के समय से काश्तकार रहा है इससे मंदिर के भोग/प्रसाद की व्यवस्था होती है। नये मंदिर रघुनाथजी के मंदिर माधवाचार्यजी थे। दोनों मंदिर अलग–अलग है किन्तु नाम एक होने से भूमियों को एक के नाम कर दिया गया है। विचारण न्यायालय में पटवारी संख्या 01 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया था फिर भी विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से वाद खारिज कर दिया। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड में कॉलम संख्या 04 में माफी मंदिर दर्ज है यह अंकन संवत 2013 से लगातार चला आ रहा है। माफी मंदिर शास्वत नाबालिग है इकबाली जवाबदावे का कोई महत्व नही है राजस्व रिकार्ड में एक ही मंदिर का नाम दर्ज है। नये पुराने का कोई अंकन नही है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार जमाबन्दी संवत 2013–16 खसरा नम्बर 607 के कॉलम संख्या 04 मे माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके देह पुजारी रामप्रसाद वल्द खेसीदास गोविन्दराम वल्द तनसुख कोम ब्राह्मण सा. देह दर्ज है, जमाबन्दी संवत 2046–49 खसरा नम्बर 607 व 607/888 के कॉलम संख्या 04 मे राजस्थान सरकार तथा कॉलम संख्या 05 मे मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज वाके देह बहतमाम पुजारी रामप्रसाद वल्द खेसीदास गोविन्दराम वल्द तनसुख कोम ब्राह्मण सा. देह दर्ज है, नकल जमाबन्दी संवत 2013–16 खसरा नम्बर 729,731/1,731/2, 731/3,737/1,737/5,737/6,737/7,742,743,744,746,747,770/6, 770/10,770/11,770/13,776 कुल किता 18 कुल रकबा 104 बीघा 09 बिस्वा के कॉलम संख्या 04 में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह अह. पुजारी महन्त भगवान दास चेला तुलसीदास कौम ब्राह्मण सा. देह के नाम

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दर्ज है। अर्थात समस्त जमाबन्दीयों में पुजारीयों के नाम अलग–अलग है, परन्तु मन्दिर का नाम एक ही मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज वाके देह दर्ज है। चूकि जमाबन्दी संवत 2013 से लगातार आज तक वादी द्वारा कथित उक्त दोनों मन्दिरों का नाम एक ही चला आ रहा है तथा मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज के खाते मे कभी भी नया पुराना का कोई उल्लेख या अंकन नही रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/1/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर